

प्रेसनोट दिनांक 02.08.2021

1. दिनांक 01.08.21 को वादी उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामजनक पुत्र स्व0 बनवारी नि0 शक्तिनगर कालोनी थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 501/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 01.08.21 को वादी हे0का0 विवेक यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अशोक कुमार पुत्र राम सेवक पासी नि0 सनेथू थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 336/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 01.08.21 को वादी श्री विनोद कुमार वर्मा पुत्र द्वारिका प्रसाद नि0 काजीपुर गाडर थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज निषाद पुत्र मंसा राम नि0 केवटहिया थाना गोसाईगंज अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा वादी को अनायास गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 224/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 01.08.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव भोला पुत्र राम आसरे चौहान नि0 मुस्तफाबाद बड़ागांव थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 355/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 01.08.21 को वादी श्री राम कमल ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरीराम पुत्र राम उदित नि0 मोहम्मदपुर थाना खण्डासा अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर अबैध कब्जा करना मना करने पर आमदा फौजदारी होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 203/21 धारा 352, 434 भादवि व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 01.08.21 को वादी श्री कैलाश पुत्र राम हेत नि0 पूरे चितई मजरे अमहिया थाना असन्दरा बाराबंकी द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 एचके 8344 बोलेरो का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर ईरिक्शा मे टक्कर मार देना जिससे 2 महिला व 02 बच्चो सहित वादी के पुत्र अमर सिंह को चोटे आना दौरान इलाज अमर की मृत्यु हो जाना व ईरिक्शा क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 171/21 धारा 279, 338, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 01.08.21 को वादी श्री राम बृक्ष मौर्या क्षेत्रीय लेखपाल जखौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम प्रकाश पुत्र राम छबीले नि0 जखौली थाना पटरंगा अयोध्या आदि 03 नफर लेखपाल व तहसीलदार द्वारा आवंटित पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाने के उपरान्त अभि0गण द्वारा लगा चिन्हाकन उखाड़कर फेक देना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 172/21 धारा 434, 447 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 01.08.21 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंजीत पुत्र जैसू नि0 सराय अहमद थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 173/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।